लोकवाणी केन्द्र खोलने हेतु आवश्यक सूचना

लोकवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिये आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र लोकवाणी वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी कार्यालय/एन0आई0सी0 कलेक्ट्रेट, इलाहाबाद में जमा किये जा सकते है।

सभी चयनित लोकवाणी केन्द्र संचालक को लोकवाणी के अनुबन्ध करने के लिए आमन्त्रित किया जायेगा। अनुबन्ध **रू0 10/–** के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा। अनुबन्ध के समय निम्न धनराशि भी देय होगी।

1– रजिस्ट्रीकरण शुल्क (एक वर्ष के लिये) – रू0 1000/–
2– धरोहर राशि – रू0 1000/–

लोकवाणी केन्द्र में दर्ज प्रत्येक शिकायत पर **रू0 2/–** केन्द्र संचालक कार्यालय लोकवाणी इलाहाबाद को भुगतान करेगा।

लोकवाणी इलाहाबाद

लोकवाणी केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

1– आवेदक का नाम –

2– पूरा पता–

फोन नं0– मोबाइल नं0–

3– प्रस्ताविक केन्द्र का पूरा पता–

4– आवेदक की शैक्षिक योग्यता –

5– वर्तमान व्यवसाय–

6– उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर/अन्य उपकरण

आवेदक का फोटो

प्रकार **संख्या**

1– कम्प्यूटर –

2– प्रिन्टर –

3– स्कैनर –

4– डिजिटल कैमरा –

5– इण्टरनेट कनेक्शन – बी0एस0एन0एल0/रिलायन्स/टाटा अन्य

7– आवेदक स्वयं केन्द्र संचालन करेगा या आपरेटर नियुक्त करेगा ?

8– क्या आपके पास जनरेटर की सुविधा है ?

9– इस क्षेत्र में अनुभव (संक्षिप्त विवरण)

(हस्ताक्षर)

➢ नोट :–

इस फार्म के साथ प्रस्तावित लोकवाणी सेन्टर का पोस्टकार्ड साइज का एक छाया चित्र संलग्न करें तथा फार्म को भरकर अपनी तहसील के उपजिलाधिकारी/एन0आई0सी0 कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें। अधिक जानकारी के लिए लोकवाणी काल सेण्टर (0532–2640657) पर सम्पर्क करें। यह फार्म लोकवाणी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। **वेबसाइट :– (http://www.allahabad.nic.in/lokvani)**

<u>**अनुबन्ध पत्र**</u>

लोकवाणी सचिव/अध्यक्ष इलाहाबाद एवं लोकवाणी केन्द्र संचालक श्री . . . . .पुत्र . . . . .पता . . . . द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक . . . . को निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुबन्ध किया जाता है।

<u>**पक्ष–1**</u>

1– लोकवाणी द्वारा इण्टरनेट पर एक वेबसाइट स्थापित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जनोपयोगी सूचनाएं एवं शासकीय योजनाओं के प्रारूप एवं विभिन्न शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं।

2– लोकवाणी सभी केन्द्र संचालकों को वेबसाइट पर यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड प्रदान करेगी।
3– लोकवाणी समस्त सूचनाओं को अद्यावधिक करने के लिये सदैव क्रियाशील रहेगी।

<u>**पक्ष–2**</u>

1– लोकवाणी केन्द्र संचालक को कम्प्यूटर केन्द्र स्वंय स्थापित करेगा, जिसके अनुरक्षण एवं संचालन हेतु आवष्यक उपकरणों को व्यवस्थित करने के लिये उत्तरदायी होगा।
2– स्वंय के केन्द्र स्थापना में लोकवाणी केन्द्र को लोकवाणी किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।
3– लोकवाणी केन्द्र संचालक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह अपना पंजीकरण लोकवाणी कार्यालय में करायेगा, जिसका पंजीकरण शुल्क रू. 1000.00 होगा। पंजीयन का नवीनीकरण प्रतिवर्ष कराना अनिवार्य होगा।
4– लोकवाणी का यह सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी प्रकार की विसंगतियों के चलते लोकवाणी केन्द्र संचालक को 15 दिन की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर देगी। ऐसा करने में लोकवाणी केन्द्र संचालक स्थापित नियमों के तहत लोकवाणी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकता।
5– जन सामान्य को वांछित सूचनाएं प्रदान करने के लिये लोकवाणी केन्द्र संचालक अपनी सेवायें उपलब्ध करायेगा। यदि लोकवाणी केन्द्र संचालक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो लोकवाणी स्तर से परीक्षण किया जायेगा। शिकायत की पुष्टि हो जाने के उपरान्त आर्थिक दण्ड लोकवाणी केन्द्र संचालक पर लोकवाणी द्वारा लगाया जा सकता है।
6– विविध सूचनाओं एवं योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिये जन सामान्य एक निश्चित धनराशि लोकवाणी केन्द्र संचालक को प्रदान करेंगा, जिसका निर्धारण लोकवाणी द्वारा किया जायेगा। तत्सम्बन्धी दर सूची लोकवाणी केन्द्र संचालक द्वारा लोकवाणी केन्द्र के सूचना पट्टिका पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से लगायी जायेगी।
7– पंजीयन का नवीनीकरण शुल्क परिवर्तित करने का अधिकार लोकवाणी के पास सुरक्षित है।
8– अनुबन्ध पत्र में दी गई शर्तो का अनुपालन किसी पक्ष द्वारा नहीं किया जाता अथवा अन्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण जिला न्यायालय इलाहाबाद के अधीन होगा।
9– लोकवाणी केन्द्र संचालक अपने केन्द्र से प्रेषित प्रत्येक शिकायत पर 2 रूपये शुल्क लोकवाणी–इलाहाबाद को अदा करेगें। इस शुल्क की धरोहर राशि के रूप में प्रत्येक लोकवाणी केन्द्र संचालक 1000.00 रूपये अलग से अदा करेगा। जिसका समायोजन अनुबन्ध की समाप्ति/नवीनीकरण के समय किया जायेगा।

प्रथम पक्ष   द्वितीय पक्ष

गवाह नं. 1 (नाम, पता व हस्ताक्षर)

गवाह नं.–2 (नाम, पता व हस्ताक्षर)